न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/00470

1. श्योपाल आत्मज श्री हेमराज जाति मीणा ।
2. रामविलास आत्मज श्री हेमराज जाति मीणा ।
3. कन्हैया लाल आत्मज श्री हेमराज जाति मीणा ।
4. रामरेश आत्मज श्री हेमराज जाति मीणा ।
5. श्रीमती कमला विधवा पत्नी श्री रामसागर जाति मीणा ।
6. रामावतार आत्मज श्री रामसागर जाति मीणा ।
7. ओम प्रकाश आत्मज श्री रामसागर जाति मीणा निवासीगण नाहरगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जिला कलक्टर बून्दी जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 23.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नाहरगंज तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 10 रकबा 82 बीघा 03

बिस्वा, खसरा नम्बर 402 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 403 रकबा 09 बिस्वा कुल 03 किता की 96 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि भूलीबाई पत्नी कालू जाति मीणा के खाते की थी । उक्त भूमि स्वर्गीय भूली बाई की स्वअर्जित सम्पत्ति थी क्योंकि यह भूमि उसे उसके स्वर्गीय पिता सुखलाल आत्मज धन्ना लाल जाति मीणा से जरिये रजिस्टर्ड बख्शीश दिनांक 09.05.1952 से प्राप्त हुई है । स्वर्गीय सुखलाल के एक पुत्र नारायण एवं एक पुत्री भूली पैदा हुई थी । भूली को उसके पति ने छोड दिया था इसलिए वह अपने पिता व भाई नारायण के पास ही रहती थी और अपने पिता की सेवा करती थी । भूली बाई दिनांक 15.06.1990 को लाऔलाद फौत हुई थी । नारायण की भी काफी समय पूर्व मृत्यु हो चुकी है। नारायण के एक पुत्र पैदा हुआ था जिसकी मृत्यु दिनांक 31.12.2013 को हो चुकी है । हेमराज की पत्नी मथरा का भी दिनांक 10.11.2014 को स्वर्गवास हो चुका है । हेमराज के 05 पुत्र श्योपाल, रामसागर, रामविलास, कन्हैयालाल, रामरेश पैदा हुए जिनमें रामसागर की मृत्यु हो चुकी है । रामसागर के वारिस वादीगण कम 5 से 7 हैं । वादग्रस्त आराजी का लिखित वसीयतनामा मृतक भूली ने अपने सगे भतीजे वादीगण कम 1 से 4 के पिता 05 के ससुर व 06 एवं 07 के पितामह स्वर्गीय हेमराज के पक्ष में दिनांक 28.03.1988 को विधिवत रूप से निष्पादित किया था । भूली की मृत्यु के बाद उक्त वसीयत के आधार पर हेमराज उक्त भूमि का विधिवत मालिक एवं खातेदार हो गया और अपनी मृत्यु तक इसी हैसियत से निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा था । हेमराज की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि पर वादीगण कम 1 से 7 काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दर्ज नहीं किया गया है और वर्तमान में भी मृतक भूली बाई का नाम अंकित है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी का स्वयं को खातेदार घोषित करावें एवं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे । तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में मृतक भूली जोजे कालू का नाम विलोपित कर वादीगण का नाम अंकित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2017 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि मृतक सुखलाल जी के खाते में कुल 190 बीघा 14 बिस्वा भूमि थी । सुखलाल जी ने अपने जीवनकाल में उक्त समस्त भूमि अपनी पुत्री श्रीमती भूली बाई को जरिये पंजीकृत हिबानामा दिनांक 09.05.1952 को दान कर दी । सुखलाल जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर श्रीमती भूली बाई व उनके पुत्र नारायण संयुक्त रूप से काश्त करते थे । सुखलाल जी के खाते की भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति थी जिसे कानूनन दान नहीं किया जा सकता । पक्षकारान मीना जाति के होने के कारण अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिन पर पुराना हिन्दू कानून ही लागू होता है । पुराने हिन्दू कानून के अनुसार यदि ऐसी पुत्री को जिसका अपने पति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता है अपने पिता के परिवार से मिलने वाली सम्पत्ति में उसके देहावसान के बाद वापस उसके पिता के वारिसान को जावेगी । श्रीमती भूली बाई को उसके पति ने छोड दिया था एवं वह अपने

पिता व भाई के साथ ही रहती थी । उक्त भूमि में से राज्य सरकार द्वारा सीलिंग कार्यवाही के तहत भूमि अधिग्रहण करने बाद खसरा नम्बर 10 बी 82 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 402 की 14 बीघा 02 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 403 की 9 विस्वा कुल 96 बीघा 14 बिस्वा भूमि शेष रही । श्रीमती भूली बाई ने एक वसीयत भी दिनांक 28.03.1988 को हेमराज के पक्ष में तहरीर कर दी थी । अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत अनरजिस्टर्ड होने के आधार पर ही वसीयत को नहीं मानने में त्रुटि की है जबकि उक्त वसीयत को वादीगण अपीलान्ट ने पूरी तरह से प्रमाणित कर दिया था । वादीगण ही श्रीमती भूली बाई के वैध उत्तराधिकारी हैं । वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में अधिकार घोषणा का दावा पेश किया था जिसमें कोई मियाद नहीं होती है । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से दावा वादीगण खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2017 निरस्त फरमाया जाकर वाद वादीगण डिक्री किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के दावे को खारिज करने में त्रुटि की है । सुखलाल जी के खाते में ग्राम नाहरगंज तहसील नैनवा में कुल 190 बीघा 14 बिस्वा आराजी थी । सुखलाल जी की एक पुत्र नारायण एवं एक पुत्री भूली बाई हुई । भूली बाई की शादी कालू मीणा से हुई परन्तु कालू ने उन्हें छोड दिया था उसके कोई संतान नहीं हुई । भूलीबाई अपने पिता और भाई के साथ रहती थी । सुखलाल ने अपनी आराजी का हिब्बा नामा भूलीबाई के नाम लिखकर दिनांक 09.05.1952 को पंजीकृत करवा दिया था । वादग्रस्त आराजी को सुखलाल की मृत्यु के बाद नारायण एवं भूली बाई काश्त करते थे और नारायण की मृत्यु के बाद उनके पुत्र हेमराज काश्त करते थे । वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति थी जो कानूनन दान नहीं की जा सकती थी । पुरानी हिन्दू विधि से पक्षकार शासित होते हैं पुरानी हिन्दू विधि के अनुसार पुत्री को पिता से जो सम्पत्ति मिलती है वो उसकी मृत्यु के बाद पिता के वारिसों को जावेगी । सीलिंग की कार्यवाही के उपरान्त कुल 96 बीघा 14 बिस्वा आराजी शेष रही है । भूली बाई के वारिस हेमराज ही हैं फिर भी भूली बाई ने हेमराज के पक्ष में एक वसीयत तहरीर की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने अपंजीकृत वसीयत को नहीं मानने में त्रुटि की है जबकि वसीयत का पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है । वादीगण वसीयती एवं उत्तराधिकार कानून के अनुसार भूली बाई के उत्तराधिकारी हैं और आराजी पर काबिज काश्त हैं । रेस्पोडेन्ट ने कोई आपत्ति नहीं की थी फिर भी दावा खारिज किया गया है । वादीगण अपीलान्ट हेमराज के विधिक वारिस हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वसीयत संदेहास्पद है । वसीयत संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो पायी है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने दावा हक घोषणा का पेश किया है ।

दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 प्रदर्श– 1 संलग्न की है जिसके अनुसार भूली जोजे कालू के खाते में कुल 03 किता की 96 बीघा 14 बिस्वा आराजी खाता संख्या 141 में दर्ज है । प्रदर्श– 2 नकल खसरा गिरदावरी है । प्रदर्श– 3 असल वसीयत है एवं प्रदर्श– 4 असल बख्शीशनामा है । प्रदर्श– 5 जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 07.05.1952 है । प्रदर्श–6 मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति है । प्रदर्श– 7 भूलीबाई के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति है । प्रदर्श– 8 हेमराज के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति है ।

10. पत्रावली बयान वादी शोपाल पीडब्ल्यू–1, रामावतार पीडब्ल्यू–2, शोजी पीडब्ल्यू–3, किशना पीडब्ल्यू–4, महावीर पीडब्ल्यू– 5 कराये गये हैं ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत को संदेहास्पद मानते हुए दाव वादीगण खारिज किया है । अपील में अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया है कि अपीलान्टगण वादी भूलीबाई के विधिक वारिस भी हैं और इस आधार पर वो वादग्रस्त आराजी को अपने खाते में दर्ज कराने के अधिकारी हैं । ऐसी स्थिति में यह उचित प्रतीत होता है कि परीक्षण न्यायालय भूली बाई के विधिक वारिसों के बाबत् तहसीलदार नैनवा से विस्तृत जॉच रिपोर्ट प्राप्त कर इस प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 11 में किये गये विवेचन के अनुसार मृतक भूली बाई के विधिक वारिसों के बाबत् तहसीलदार, नैनवा से जॉच रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 23.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23-9-2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा